



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-144 राँची, बुधवार, 5 फाल्गुन, 1942 (श०)
24 फरवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

03 फरवरी, 2021

आदेश संख्या:-5/आरोप-1-172/2014 का० 733-- श्री देवराम भगत, (कोटि क्रमांक-657/03, गृह जिला-गुमला), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत सड़क निर्माण से संबंधित राशि गबन करने के मामले में इनके विरुद्ध दर्ज छत्तरपुर थाना कांड संख्या-53/2000, दिनांक 29.05.2000 में दिनांक 15.04.2005 को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पलामू के न्यायालय में आत्मसमर्पण करने एवं हिरासत में लिये जाने के आलोक में विभागीय आदेश सं०-2420, दिनांक 26.09.2005 द्वारा झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-99 के तहत श्री भगत को निलंबित किया गया तथा विभागीय आदेश सं०-2862, दिनांक 07.06.2007 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया।

2. श्री भगत के पत्र, दिनांक 05.02.2019 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित कर सूचित किया गया कि छत्तरपुर केस नं०-53/2000, जी०आर० केस नं०-621/2000 में श्री अशोक कुमार-III एस०डी०जे०एम०, पलामू के न्यायालय द्वारा दिनांक 10.12.2018 को पारित न्यायादेश में उन्हें दोष मुक्त किया गया है।

3. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-1806, दिनांक 27.02.2019 एवं स्मार-पत्रों द्वारा उपायुक्त, पलामू से पारित न्यायादेश की सत्यापित प्रति की माँग की गई। उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-281/स्था०, दिनांक 11.06.2020 द्वारा पारित न्यायादेश की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी गई तथा पत्रांक-649/स्था०, दिनांक 27.10.2020 द्वारा सूचित किया गया कि छत्तरपुर केस नं०-53/2000, जी०आर० केस नं०-621/2000 में श्री अशोक कुमार-III एस०डी०जे०एम०, पलामू के न्यायालय द्वारा दिनांक 10.12.2018 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं किया गया है।

4. मामले के समीक्षोपरांत, छत्तरपुर कांड सं०-53/2000, दिनांक 29.05.2000, जी०आर० केस नं०-621/2000 में श्री अशोक कुमार-III एस०डी०जे०एम०, पलामू के न्यायालय द्वारा दिनांक 10.12.2018 को पारित न्यायादेश, जिसमें श्री भगत को दोष मुक्त किया गया है, के आलोक में श्री भगत का नाम आपराधिक सूची से विलोपित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः, श्री भगत द्वारा समर्पित अभ्यावेदन एवं श्री अशोक कुमार-III एस०डी०जे०एम०, पलामू के न्यायालय द्वारा दिनांक 10.12.2018 को छत्तरपुर कांड सं०-53/2000, दिनांक 29.05.2000, जी०आर० केस नं०-621/2000 में पारित न्यायादेश के आलोक में श्री देवराम भगत, (कोटि क्रमांक-657/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू के दिनांक 15.04.2005 से 06.06.2007 तक की निलम्बन अवधि को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-11 के तहत पूर्ण वेतन एवं भत्ते पर कर्तव्य पर बितायी गई अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
